न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :— 17/2021

शीर्षक

1.कैलाश पुत्र कालूराम
2. बाबूलाल पुत्र किशना
3. रामलाल पुत्र किशना
4. केसरी देवी पत्नी किशना
5. जगदीश पुत्र झूथा
6. गोकुल पुत्र झूथा
7. बाबूलाल पुत्र झूथा
8. सीताराम पुत्र झूथा
9. जटाशंकर पुत्र झूथा
10. प्रभाती देवी पत्नी झुथा
11. भीवाराम पुत्र भगवाना
12. शंकरलाल पुत्र भगवाना
13. संज्या देवी पत्नी भगवाना
14. बल्लू पुत्र सुरजा
15. श्यामलाल पुत्र सुरजा
16. धूड़ाराम पुत्र सुरजा
17. जड़ाव देवी पत्नी सुरजा
18. मन्जू पुत्री सुरजा
19. भागीरथ उर्फ कालूराम पुत्र गोपी
समस्त जाति यादव नि. ढाणी ठाकरावाली ग्राम करीरी तह. शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. नरसी पुत्री मालीराम
2. शंकर पुत्र मालीराम
3. गोपाल पुत्र सोना
4. रामेश्वर पुत्र सोना
समस्त जाति यादव नि. ढाणी ठाकरावाली ग्राम करीरी तह. शाहपुरा जिला जयपुर
5. प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलान्दरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार (भू–धारक जरिये तहसीलदार) तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
7. नायब तहसीलदार/उप पंजीयक उपतहसील अमरसर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
8. पटवारी प0ह0 करीरी तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

9. सीता देवी पुत्री सुरजा पत्नी सीताराम अहीर नि. ढाणी ताराकावाली अणतपुरा तह. चौमू, जयपुर
10. फुली देवी पुत्री सुरजा पत्नी दानाराम अहीर नि. ढाणी ताराकावाली अणतपुरा तह. चौमू, जयपुर
11.सीता देवी पुत्री भगवाना पत्नी कैलाश अहीर नि ढाणी दुदडोल्या की तन बरवाड़ा तह चौमू, जयपुर।
12.मंगली पुत्री भगवाना पत्नी महेन्द्र अहीर नि ढाणी दुदडोल्या की तन बरवाड़ा तह. चौमू, जयपुर।
13. मिन्टू देवी पुत्री भगवाना पत्नी कृष्ण अहीर नि ढाणी बावडी की तन तिगरीया तह. चौमू, जयपुर।
14. राजू देवी पत्नी रामकिशोर पुत्री झुथा अहीर नि तिगरीया तह. चौमू, जयपुर।
15. मनभरी पुत्री किशना पत्नी लक्ष्मण अहीर नि ढाणी जोधा वाली तन हनुतपुरा तह. शाहपुरा जयपुर।
16. छोटी उर्फ सुमित्रा पुत्री किशना पत्नी शिम्भूदयाल अहीर नि ढाणी जोधा वाली तन हनुतपुरा तह. शाहपुरा जयपुर।
17. रोहिताश पुत्र कालूराम जाति यादव नि. ढाणी ठाकरावाली तन करीरी तह. शाहपुरा, जयपुर।
18. रामस्वरूप पुत्र कालूराम जाति यादव नि. ढाणी ठाकरावाली तन करीरी तह. शाहपुरा, जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 2/10/2021

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 2638/0.44, 2639/1.03, 2650/0.60, 2651/0.61, 2667/0.87, 2668/0.13, कुल किता 6 रकबा 3.68 है0 वाके ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जि.. जयपुर) राज.

2. यह कि उक्त भूमि के हिस्सा 1/12 भाग का वादी सं0 1, हिस्सा 1/12 भाग का वादीगण संख्या 2 लगायत 4 व तरतीबी प्रतिवादियागण सं0 15,16 हिस्सा 1/8 का वादीगण सं0 5 लगायत 10 व तरतीबी प्रतिवादियागण संख्या 14, हिस्सा 1/12 के वादीगण संख्या 11 लगायत 13 व तरतीबी प्रतिवादियागण सं0 11 लगायत 13, हिस्सा 1/12 का तरतीबी प्रतिवादीगण सं 17, हिस्सा 1/12 का तरतीबी प्रतिवादीगण सं0 18, हिस्सा 1/18 वादीगण संख्या 14 लगायत 18 व तरतीबी प्रतिवादियागण संख्या 9 व 10 हिस्सा 1/12 भाग का वादीगण संख्या 19 तथा हिस्सा 1/24 का प्रतिवादीगण सं0 1, हिस्सा 1/24 का प्रतिवादीगण सं0 2 हिस्सा 1/12 का प्रतिवादीगण संख्या 3, हिस्सा 1/12 का प्रतिवादीगण संख्या 4 खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है एवं इसी अनुसार राज में मांग के अनुरूप लगान जमा कराते आ रहे है। जमाबन्दी में अंकित खातेदार किशना पुत्र चूना, झूँथा पुत्र नाथू, भगवाना पुत्र चूना, सुरजा पुत्र नाथू का देहान्त हो गया है जिसमें किशना पुत्र चूना के वारिसान वादीगण सं0 2 लगायत 4 व तरतीबी प्रतिवादियागण सं0 15 व 16 तथा झूँथा पुत्र नाथू के वारिसान वादीगण संख्या 5 लगायत 10 व तरतीबी प्रतिवादियागण संख्या 14 तथा भगवाना पुत्र चूना के वारिसान वादीगण संख्या 11 लगायत 13 व तरतीबी प्रतिवादियागण सं0 11 व 13 तथा सुरजा पुत्र नाथू के वारिसान वादीगण 14 लगायत 18 व तरतीबी प्रतिवादियागण संख्या 9 व 10 है जिन्हे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

3. यह कि उक्त भूमि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से कब्जा अनुसार मय रास्ता अनुसार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है।

4. प्रतिवादीगण सं0 1 लगा. 4 ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक नाजायज संगठन बना रखा है जो वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उसके हिस्से की भूमि में बाधा उत्पन्न करके रास्ता बन्द कर भूमि को किसी खूखॉर अजनवी भू–माफिया गिरोह को बेचान करके वादीगण को परेशान व हैरान करके बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हिस्से की भूमि में उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है, उपयोग उपभोग नही करने दे रहे है, रास्ता को बन्द कर रास्ते से आने जाने नही दे रहे है जो कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण की भूमि को हडप करना चाहते है। तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में दखल पैदा करना चाहते है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उसके हिस्से पर उपयोग करने देने में अडचन पैदा करते है, तथा हमेशा लडाई झगडा करने पर आमादा रहते है।

5. प्रतिवादी सं0 1 ने वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के रास्ते को बन्द कर दिया व आने जाने नहीं दे रहा है तथा न्यायालय हाजा में आराजी खसरा नम्बर 1981/0.15, 2660/0.96 है0 भूमि का गलत तथ्य छुपाकर वादीगण के खिलाफ दावा मय प्रार्थना पत्र पेश कर वादीगण को गलत रूप में पाबन्द करवाया है जबकि प्रतिवादीगण स्वयं ने वादीगण का रास्ता बन्द कर रखा है वादीगण को आने जाने नहीं दे रहे है रास्ता से अपने मकानो व खातेदारी भूमियों में आने जाने पर जब चाहे गाली गलौच करते रहते है आने जाने नहीं देते है व केवल दो खेतो का गलत सम्पूर्ण वास्तविक स्थिति न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश नही कर गलत दावा पेश कर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को ऐलानियां धमकी दी है। तथा उसके बाद प्रतिवादी सं0 7 व 8 से मिलकर गलत विधि विपरित तरीके से वादीगण के हिस्सा की भमि में से गलत रूप में नया रास्ता निकालने के लिये वादीगण की फसल को नष्ट कर दिया व दिनांक 06.08.2020 को वादी सं0 1 के हिस्सा की भूमि की प्रतिवादीगण सं0 6, 7 ने अपनी व पुलिस की उपस्थिति में वादी सं0 1 की फसल को नष्ट कर दिया व तारबन्दी हटा दी तथा दिनांक 07.08.2020 को भूमि पर कब्जा करने नया रास्ता निकालने पर आमादा हो गये गाली गलौच किया व मारपीअ की तथा धमकी देते है कि हरफुल सिंह यादव की ताकत व पुलिस व प्रतिवादीगण सं0 6 लगायत 8 की ताकत से हम तो नया रास्ता कायम करेगे तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हिस्सा की भूमि में रास्ता से आने जाने नहीं देगे तथा उक्त भूमि का बंटवारा भी नहीं करवायेगे भूमि को खुर्द बुर्द करेगे, निर्माण करेगे और बेस कीमती भूमि का विक्रय उक्त दीगर लोगो को करेगे जो वादीगण को उनके हिस्सा की खातेदारी भूमि से बेदखल करेगे वादीगण को जो करना हो वो कर ले।

6. उपरोक्त कारणों से अब वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण का समालाती रूप में काश्त उपयोग उपभोग करना संभव नहीं रहा है, इसलिये सम्पूर्ण भूमि का विधिक बंटवारा रास्ता को ध्यान में रखते हुये करवाया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है।

7. यह कि वादीगण को अधिकार है, कि वह अपनी उक्त खातेदारी की भूमि के अपना हिस्सा भाग की भूमि का विधिक रूप में बंटवारा करावे एवं इसका राजस्व रिकार्ड में अमल करावे प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 4 को हमेशा–हमेशा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि में कोई मदाखलत बेजा पैदा नहीं करे निर्माण नहीं करे । रास्ता बन्द नहीं करे वादीगण को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त उपयोग उपभोग करने देवे।

सहायक ... क्टर
शाहपुरा (जि. ...पुर) राज.

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण में उनके अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। दिनांक 19.07.2021 को वकील उभयपक्ष ने प्रकरण में प्राथमिक डिकी किरने पर निवेदन करने पर प्रकरण में प्राथमिक डिकी किया गया दिनांक 24.08.2021 को तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, बंटवारा रिपोर्ट पर वकील वादीगण द्वारा आपत्ति प्रार्थना पेश किया जिसमें वकील प्रतिवादी ने जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बंटवारा रिपोर्ट कुर्रेजात आपत्ति के संबंध में निवेदन किया कि बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा द्वारा तैयार नहीं की गई है। बंटवारा रिपोर्ट मौके व सरस नरस के अनुसार तैयार नहीं गई है बल्की बंटवारा पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। अन्त मे निवेदन किया गया है कि बंटवारा रिपोर्ट निरस्त कर पुनः पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की जावे। वकील अप्रार्थी प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि बंटवारा रिपोर्ट सभी पक्षकारान को उपस्थिति में तैयार की गई है। बंटवारा रिपोर्ट सरस नरस व रास्ते को दर्शाते हुए तैयार की गई है। बंटवारा रिपोर्ट तैयार करते समय सभी पक्षकार उपस्थित रहे है। जिनके फोटोग्राफ भी है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कुर्रेजात प्रा0पत्र खारीज कर बंटवारा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा रिपोर्ट उप तहसीलदार अमरसर द्वारा पक्षकारान की उपस्थिति में सरस नरस के आधार पर तैयार की गई है। बंटवारा रिपोर्ट में रास्ते को भी दर्शाया गया है। बटवारा रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि बटवारा रिपोर्ट तैयार करते समय सभी पक्षकार उपस्थित थे उनके द्वारा बटवारा कुर्रेजात पर हस्ताक्षर नही किये गये हैं बटवारा रिपोर्ट मौके पर कब्जे काश्त व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार तैयार की गई है। बटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट वकील प्रार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रकरण को मात्र देरी ना करने की गरज से पेश किया गया है। अतः प्रार्थी/वादीगण का प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात खारीज किया जाता है।
अतः बंटवारा रिपोर्ट उप तहसीलदार अमरसर तहसील शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। खाता सं0 79 में हाल ख0 न0 2668/0.44 व 2639/1.03, 2650/0.60, 2651/0.61, 2667/0.87, 2668/0.13 कुल किता 6 रकबा 3.68 है0 वाकै ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. **नरसी, शंकरलाल पि0 मालीराम हिस्सा 1/3 गोपाल , रामेश्वर पिता सोना हिस्सा 2/3 रहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ,शाखा खेजरोली जाति अहीर सा0 देह खातेदार आ.ख.नं. 2638 रकबा 0. 44 है0, 2639/1 रकबा 0.09, 2639/3 रकबा 0.37 है0 कुल किता 3 रकबा 0.90 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।**

2. **किशना पुत्र चूना रहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ,शाखा बिलान्दरपुर हिस्सा 1/6 भगवाना पुत्र चूना रहिन भूमि विकास बैंक शाखा शाहपुरा हिस्सा 1/6 भागीरथ पुत्र गोपी हिस्सा 1/6 जडाव देवी पत्नी स्व0 सुरजा, धूडाराम, बलदेव ,श्यामलाल, सीता देवी, फूली देवी , मंजू देवी पिता सुरजा हिस्सा 1/4 प्रभाती देवी पत्नी झूथा गोकुल, जगदीश, जटाशंकर, बाबूलाल, सीताराम, राजू देवी पिता झूथा हिस्सा 1/4 जाति अहिर सा0 देह खातेदार आराजी खसरा नम्बर 2639/4 रकबा 0.55 है0, 2650/1 रकबा 0.005 है0, 2650/3 रकबा ~~0.65~~ 0.5650 है0, 2651/1 रकबा 0.06, 2651/3 रकबा 0.525 है0, 2667/1 रकबा 0.015 है0, 2667/3 रकबा 0.08 है0 कुल किता 7 रकबा 1.80 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।**

3. **कैलाश, रामस्वरूप पिता कालूराम रहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खेजरोली हिस्सा 2/3 , रोहिताश पुत्र कालूराम हिस्सा 1/3 जाति अहिर सा0 देह खातेदार आराजी खसरा नम्बर 2668 रकबा 0.13 है0, 2667/4 रकबा 0.77 है0 कुल किता 2 रकबा 0.90 है0 भूमि बटवारा हिस्से में रहेगीं।**

4. **कैलाश, रामस्वरूप पि0 कालूराम रहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खेजरोली हिस्सा 1/6, रोहिताश पुत्र कालूराम हिस्सा 1/12 है0 , किशना पुत्र चूना रहिन सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ,शाखा बिलान्दरपुर हिस्सा 1/12, भगवाना पुत्र चूना रहिन भूमि विकास बैंक शाखा शाहपुरा हिस्सा 1/12 , भागीरथ पुत्र गोपी हिस्सा 1/12, गोपाल ,रामेश्वर पिता सोना रहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खेजरोली हिस्सा 1/6 , नरसी, शंकर पिता मालीराम रहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खेजरोली हिस्सा 1/12 , जडाव देवी पत्नी स्व0 सुरजा, धूडाराम, बलदेव ,श्यामलाल, सीता देवी, फूली देवी , मंजू देवी पिता सुरजा हिस्सा 1/8 प्रभाती देवी पत्नी झूथा गोकुल, जगदीश, जटाशंकर, बाबूलाल, सीताराम, राजू देवी पिता झूथा हिस्सा 1/8 जाति अहिर**

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

सा0देह खातेदार के आराजी खसरा नम्बर 2639/2 रकबा 0.02, 2650/2 रकबा 0.03, 2651/2 रकबा 0.025, 2667/2 रकबा 0.005 कुल किता 4 रकबा 0.08 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/10/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 17/2021

शीर्षक

1.कैलाश पुत्र कालूराम
2. बाबूलाल पुत्र किशना
3. रामलाल पुत्र किशना
4. केसरी देवी पत्नी किशना
5. जगदीश पुत्र झूथा
6. गोकुल पुत्र झूथा
7. बाबूलाल पुत्र झूथा
8. सीताराम पुत्र झूथा
9. जटाशंकर पुत्र झूथा
10. प्रभाती देवी पत्नी झुथा
11. भीवाराम पुत्र भगवाना
12. शंकरलाल पुत्र भगवाना
13. संज्या देवी पत्नी भगवाना
14. बल्लू पुत्र सुरजा
15. श्यामलाल पुत्र सुरजा
16. धूड़ाराम पुत्र सुरजा
17. जड़ाव देवी पत्नी सुरजा
18. मन्जू पुत्री सुरजा
19. भागीरथ उँर्फ कालूराम पुत्र गोपी

समस्त जाति यादव नि. ढाणी ठाकरावाली ग्राम करीरी तह. शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. नरसी पुत्री मालीराम
2. शंकर पुत्र मालीराम
3. गोपाल पुत्र सोना
4. रामेश्वर पुत्र सोना

समस्त जाति यादव नि. ढाणी ठाकरावाली ग्राम करीरी तह. शाहपुरा जिला जयपुर

5. प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बिलान्दरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार (भू–धारक जरिये तहसीलदार) तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
7. नायब तहसीलदार/उप पंजीयक उपतहसील अमरसर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
8. पटवारी प0ह0 करीरी तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

9. सीता देवी पुत्री सुरजा पत्नी सीताराम अहीर नि. ढाणी ताराकावाली अणतपुरा तह. चौमू, जयपुर
10. फुली देवी पुत्री सुरजा पत्नी दानाराम अहीर नि. ढाणी ताराकावाली अणतपुरा तह. चौमू, जयपुर
11.सीता देवी पुत्री भगवाना पत्नी कैलाश अहीर नि ढाणी दुदडोल्या की तन बरवाड़ा तह चौमू, जयपुर।
12.मंगली पुत्री भगवाना पत्नी महेन्द्र अहीर नि ढाणी दुदडोल्या की तन बरवाड़ा तह. चौमू, जयपुर।
13. मिन्टू देवी पुत्री भगवाना पत्नी कृष्ण अहीर नि ढाणी बावडी की तन तिगरीया तह. चौमू, जयपुर।
14. राजू देवी पत्नी रामकिशोर पुत्री झुथा अहीर नि तिगरीया तह. चौमू, जयपुर।
15. मनभरी पुत्री किशना पत्नी लक्ष्मण अहीर नि ढाणी जोधा वाली तन हनुतपुरा तह. शाहपुरा जयपुर।
16. छोटी उर्फ सुमित्रा पुत्री किशना पत्नी शिम्भूदयाल अहीर नि ढाणी जोधा वाली तन हनुतपुरा तह. शाहपुरा जयपुर।
17. रोहिताश पुत्र कालूराम जाति यादव नि. ढाणी ठाकरावाली तन करीरी तह. शाहपुरा, जयपुर।
18. रामस्वरूप पुत्र कालूराम जाति यादव नि. ढाणी ठाकरावाली तन करीरी तह. शाहपुरा, जयपुर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 21/10/2021

अतः बंटवारा रिपोर्ट उप तहसीलदार अमरसर तहसील शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। खाता सं0 79 में हाल ख0 न0 2668/0.44 व 2639/1.03, 2650/0.60, 2651/0.61, 2667/0.87, 2668/0.13 कुल किता 6 रकबा 3.68 है0 वाकै ग्राम

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जि. जयपुर) राज.

करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. नरसी, शंकरलाल पि0 मालीराम हिस्सा 1/3 गोपाल , रामेश्वर पिता सोना हिस्सा 2/3 रहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ,शाखा खेजरोली जाति अहीर सा0 देह खातेदार आ.ख.नं. 2638 रकबा 0.44 है0, 2639/1 रकबा 0.09, 2639/3 रकबा 0.37 है0 कुल किता 3 रकबा 0.90 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

2. किशना पुत्र चूना रहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ,शाखा बिलान्दरपुर हिस्सा 1/6 भगवाना पुत्र चूना रहिन भूमि विकास बैंक शाखा शाहपुरा हिस्सा 1/6 भागीरथ पुत्र गोपी हिस्सा 1/6 जडाव देवी पत्नी स्व0 सुरजा, धूडाराम, बलदेव ,श्यामलाल, सीता देवी, फूली देवी , मंजू देवी पिता सुरजा हिस्सा 1/4 प्रभाती देवी पत्नी झूथा गोकुल, जगदीश, जटाशंकर, बाबूलाल, सीताराम, राजू देवी पिता झूथा हिस्सा 1/4 जाति अहिर सा0 देह खातेदार आराजी खसरा नम्बर 2639/4 रकबा 0.55 है0, 2650/1 रकबा 0.005 है0, 2650/3 रकबा ~~0.65~~ 0.55 है0, 2651/1 रकबा 0.06, 2651/3 रकबा 0.525 है0, 2667/1 रकबा 0.015 है0, 2667/3 रकबा 0.08 है0 कुल किता 7 रकबा 1.80 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

3. कैलाश, रामस्वरूप पिता कालूराम रहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खेजरोली हिस्सा 2/3 , रोहिताश पुत्र कालूराम हिस्सा 1/3 जाति अहिर सा0 देह खातेदार आराजी खसरा नम्बर 2668 रकबा 0.13 है0, 2667/4 रकबा 0.77 है0 कुल किता 2 रकबा 0.90 है0 भूमि बटवारा हिस्से में रहेगीं।

4. कैलाश, रामस्वरूप पि0 कालूराम रहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खेजरोली हिस्सा 1/6, रोहिताश पुत्र कालूराम हिस्सा 1/12 है0 , किशना पुत्र चूना रहिन सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ,शाखा बिलान्दरपुर हिस्सा 1/12, भगवाना पुत्र चूना रहिन भूमि विकास बैंक शाखा शाहपुरा हिस्सा 1/12 , भागीरथ पुत्र गोपी हिस्सा 1/12, गोपाल ,रामेश्वर पिता सोना रहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खेजरोली हिस्सा 1/6 , नरसी, शंकर पिता मालीराम रहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खेजरोली हिस्सा 1/12 , जडाव देवी पत्नी स्व0 सुरजा, धूडाराम, बलदेव ,श्यामलाल, सीता देवी, फूली देवी , मंजू देवी पिता सुरजा हिस्सा 1/8 प्रभाती देवी पत्नी झूथा गोकुल, जगदीश, जटाशंकर, बाबूलाल, सीताराम, राजू देवी पिता झूथा हिस्सा 1/8 जाति अहिर सा0देह खातेदार के आराजी खसरा नम्बर 2639/2 रकबा 0.02, 2650/2 रकबा 0.03 , 2651/2 रकबा 0.025, 2667/2 रकबा 0.005 कुल किता 4 रकबा 0.08 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज तारीख 2/10/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला -जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड		जोड	